



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127039

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 5231

सन् 2026

हरीश उर्फ हरीश बाबू

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : आदित्य उपाध्याय, अमरीश पांडे

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से, मुकदमा अपराध संख्या 87 सन् 2026, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5ए/8 तथा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 अंतर्गत, थाना सराय लखंसी, जिला मऊ में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक निर्दोष है और उसे गलत इरादे से इस प्रकरण में फंसाया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि सह-अभियुक्त छोटे लाल को संबंधित न्यायालय ने दिनांक 02.04.2026 के आदेश के तहत पहले ही जमानत दे दी है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उन्होंने आगे कहा कि आवेदक की भूमिका भी वैसी ही है जैसी उस सह-अभियुक्त की थी जिसे पहले ही ज़मानत मिल चुकी है। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि आवेदक को डर है कि पुलिस उसे कभी भी इस प्रकरण में गिरफ्तार कर सकती है, जबकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर आवेदक को ज़मानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और अन्वेषण/विचारण में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम ज़मानत की प्रार्थना का विरोध किया।

5. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और एक अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर कानून को अंतिम रूप से स्पष्ट कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि अग्रिम ज़मानत का समय हमेशा सीमित नहीं होना चाहिए। उचित प्रकरणों में, यह विचारण के खत्म होने तक जारी रह सकती है। इसमें यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियुक्त के आचरण और व्यवहार के आधार पर, चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी विचारण तक अग्रिम ज़मानत जारी रह सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम ज़मानत की प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने जैसे गवाहों को डराने धमकाने की संभावना, और न्याय से बचने जैसे देश छोड़कर भागने की संभावना जैसे पहलुओं पर विचार करना चाहिए। साथ ही, यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम ज़मानत देनी है या नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालय को आम तौर पर अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के तथ्यों जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। ज़मानत देनी है या नहीं, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

6. अग्रिम ज़मानत से जुड़े कानून के स्थापित सिद्धांतों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और प्रकरण से जुड़ी सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना, मेरी राय में, यह प्रकरण आवेदक को विचारण तक अग्रिम ज़मानत देने के लिए उपयुक्त है।

7. इसके अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. आवेदक - **हरीश उर्फ हरीश बाबू** को निर्देश दिया जाता है कि वे आज से 15 दिनों के भीतर इस आदेश की कॉपी के साथ संबंधित विवेचना अधिकारी/न्यायालय के सामने पेश हों और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि के दो जमानतदारों के साथ व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करें। उन्हें विचारण पूरा होने तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

(i) आवेदक प्रकरण में तय तारीख पर संबंधित जांच अधिकारी/न्यायालय के सामने पेश होगा और अन्वेषण/विचारण में सहयोग करेगा।

(ii) आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने उन तथ्यों को बताने से पीछे हट जाए।

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा और यदि उसके पास पासपोर्ट है, तो उसे संबंधित एस.एस.पी./एस.पी. के पास जमा करना होगा।

9. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह आवेदक को दी गई सुरक्षा को रद्द करने का आधार बन सकता है।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

11 जून, 2026

नीतू